56 (3) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर से निचले स्तर के कर्मचारियों की सेवा–निवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर से निचले स्तर के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को निम्नलिखित तरीके से बढ़ाने का निर्णय लिया हैः–

(क) विशेष रूप से की गई अन्य व्यवस्था को छोड़कर केन्द्रीय लोक उद्यम में बोर्ड स्तर से निचले पद का प्रत्येक कर्मचारी जिसकी सेवा–निवृत्ति की आयु वर्तमान में 58 वर्ष है, अब उद्यम की सेवाओं से उस महीने की अंतिम तारीख की अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा/होगी, जिस महीने में वह 60 वर्ष की आयु पूरी करेगा/करेगी। तथापि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बोर्ड स्तर से निचले पद के कर्मचारी, जिनकी जन्म तिथि महीने की पहली तारीख है, वह 60 वर्ष पूरे करने वाले महीने के पूर्ववर्ती महीने की अंतिम तारीख को अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा/होगी।

(ख) अधिवर्षिता की आयु अर्थात् 60 वर्ष के बाद सेवा अवधि बढ़ाने पर पूर्णतः रोक होगी।

2. ये निर्णय (सा.क्षे.के उद्यम में) उस तारीख से लागू होंगे जिस तारीख को संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नियमों–विनियमों का संशोधन किया गया है। तथापि, ये निर्णय उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो पिछले नियमों के अनुसार पहले ही सेवा–निवृत्त हो चुके हैं तथा इन अनुदेशों के जारी होने की तारीख को बढ़ी हुई सेवावधि में कार्यरत हैं अथवा जो विशेष नियम या विनियम द्वार विनियमित हैं।

3. सेवा–निवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भर्ती तथा पदोन्नति के संबंध में सेवानिवृत्ति से हुए रिक्त पदों की समीक्षा करेगा जिससे अतिरिक्त भर्ती न हो या अत्यधिक पदों के सृजन को लेकर मुकद्दमेबाजी न हो अथवा सेवानिवृत्ति से हुई रिक्तियों में कटौती के परिणामस्वरूप विचारार्थ पदों की संख्या में परिवर्तन के कारण विभागीय पदोन्नति समितियों की समीक्षा करेगा।

4. सभी प्रशासकीय मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे सरकार के उपर्युक्त निर्णयों के सख्ती से अनुपालन के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस बारे में सूचित करें।

(डी पी ई के 19 मई, 1998 का ओ.एम.सं. 18(6)/98–जी.एम.–जी.एल.–002)